न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 50/2020
3. उनवान : सरकार जरिये गौरा मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बदलू सिंह निवासी गांव कोलंगा थाना सदर भिवानी हरियाणा हाल निवासी मकान नं. 24–25, बालाजी विहार–14, माचडा, जयपुर पुलिस थाना हरमाडा।

4. निर्णय दिनांक : 13.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री विजय बेनीवाल अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री गौरा मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.06.2018 को पुलिस थाना हरमाडा जयपुर पंहुचे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार 10.06.2018 को कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों के अवैध रुप से रखे होने की सूचना पर माचडा में बालाजी विहार–14 कालोनी, म.नं. 24–25 पर पहुंचे। प्लाट में 4 कमरे व एक किचन बनी हुई है जो मुन्ना लाल गुप्ता का होना बताया जिसमें अप्रार्थी किराये पर रहना बताया गया। जिसके द्वारा दो कमरों में व बाहर गैस सिलेण्डर खाली व भरे हुये रखे हुये थे। इतनी मात्रा में गैस सिलेण्डर के भण्डारण व कब्जे में रखने के कागजात अप्रार्थी ने पेश नहीं किये तथा सिलेण्डर स्वयं के होना बताया। मौके पर सिलेण्डर तौलने का कांटा भी मिला। अप्रार्थी के पास अनिका इण्डेन का आईडी कार्ड मिला जिसमें उसे डिलीवरीमैन होना बताया। मौके से सुपर गैस के 34 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, भारत गैस के 11 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, एचपी के 12 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, इण्डेन के 35 खाली व 15 भरे वाणिज्यिक सिलेण्डर कुल 106 वाणिज्यिक सिलेण्डर व 1 घरेलू सिलेण्डर मय 222.800 किग्रा गैस तथा एक इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द पैकिंग, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक् रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 24/11/2022 को अधिवक्ता श्री विजय बेनीवाल ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत ना किया जाकर जब्तशुदा 92 खाली सिलेण्डरों की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 10.06.2018 को जब्त वाणिज्यिक व घरेलू सिलेण्डरों का अप्रार्थी द्वारा अवैध भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा इतनी भारी मात्रा में कार्मिशयल सिलेण्डरों का बिना किसी वैध दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र के भण्डारण करना इनकी कालाबाजारी करना पुष्ट करता है। अप्रार्थी ने स्वयं को अनिका इण्डेन गैस एजेन्सी का डिलीवरीमैन होना बताया। एक गैस एजेन्सी एक ही कम्पनी के सिलेण्डर सप्लाई कर सकती है जबकि अप्रार्थी के पास विभिन्न कम्पनियों के सिलेण्डर मिले जिससे इनकी चोरी करना या अवैध खरीद फरोख्त करना पुष्ट होता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान सुपर गैस के 34 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, भारत गैस के 11 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, एचपी के 12 खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर, इण्डेन के 35 खाली व 15 भरे वाणिज्यिक सिलेण्डर कुल 106 वाणिज्यिक सिलेण्डर व 1 घरेलू सिलेण्डर मय 222.800 किग्रा गैस तथा एक इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।